

शादी विवाह एवं अन्य समारोह हेतु जन मिलन केन्द्र भवन/मैदान/पार्क एवं आवास आरक्षित करने हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम जी.पी.एफ./सी.पी.एस. न० मोबाइल न.
2. पदनाम विभाग का नाम
3. मैदान/पार्क का नाम जो आरक्षित होना है
4. आवास संख्या जो आरक्षित होना है
5. (अवधि) दिनोंक..... से दिनोंक तक कुल दिनों की संख्या
6. आवंटित कराने का उद्देश्य

कार्यालय आदेश पत्रांक: वि०नि०/बजट/2016/594/2729 दिनांक 16.03.2016 के अनुसार
किराये का विवरण जो सम्बन्धित विभाग में जमा होना है।

क्र०सं०	विवरण	किराया रू० प्रतिदिन		विभाग जहाँ किराया जमा होना है	रसीद का विवरण जिसके द्वारा किराया जमा किया गया
		वि०वि० कर्मियों हेतु	अन्य हेतु		
1.	जनमिलन केन्द्र एवं रामलीला मैदान (जनमिलन एवं रामलीला मैदान संयुक्त रूप से)	2000.00	5000.00	परिसम्पत्ति कार्यालय	
2.	वि०वि०परिसर के अन्य समस्त पार्क/मैदान	1000.00	2000.00	परिसम्पत्ति कार्यालय	
3.	विभिन्न पार्कों/मैदानों की सफाई एवं गड्ढे भराई प्रति समारोह	1000.00	1000.00	उप निदेशक, सामान्य खण्ड	
4.	रिक्त आवासों का प्रति कक्ष प्रतिदिन किराया	300.00	500.00	परिसम्पत्ति कार्यालय	
5.	मैदानों का जल शुल्क प्रति समारोह	200.00	400.00	उप निदेशक, जलखण्ड	
6.	विद्युत किराया	विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर		उप निदेशक, विद्युत खण्ड	

अन्य शर्तें:

1. विश्वविद्यालय के सेवारत कर्मियों को देय सुविधा उनके अविवाहित पुत्र/पुत्रियों/आश्रितों(माता-पिता, अविवाहित भाई, बहन) को ही मान्य होगी।
2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों को अन्य श्रेणी के अन्तर्गत निर्धारित किराया देय होगा।
3. विद्युत विभाग, जलकल विभाग एवं सफाई विभाग में जमा की गई राशि की रसीद परिसम्पत्ति कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही सम्बन्धित पार्कों/मैदानों का अस्थाई कब्जा मान्य होगा।
4. लालबाग एवं फूलबाग के पार्क/मैदानों पर कार्यक्रम आयोजन की स्वीकृति पूर्व की भौति कुलपति जी से प्राप्त की जायेगी।
5. कार्यक्रमों के दौरान डी०जे०/लाउडस्पीर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे उपरान्त प्रतिबन्धित है। यदि निर्धारित अवधि उपरान्त डी०जे०/लाउडस्पीकर का प्रयोग आवंटी (allottee) द्वारा करते हुये पाया जायेगा तो इसे आवंटन की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये शास्ति आरोपित की जायेगी। शास्ति की दर रू० 3,000.00 प्रतिघंटा निर्धारित की जाती है। शास्ति वसूली का दायित्व विश्वविद्यालय सुरक्षा विभाग का होगा। (कार्यालय आदेश- पत्रांक: नि०प्र०अ०/4656 दि०: 13.01.2023 के अनुसार)
6. आरक्षित कराये गये भवन/पार्क/मैदान का उपयोग न किये जाने पर आवंटी द्वारा जमा करायी गई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
7. उपरोक्त नियम व शर्तें मुख्य परिसर, नगला, हल्दी, पत्थरचट्टा आदि सभी केन्द्रों पर समान रूप से लागू होगी।
8. विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य को उक्त सुविधा हेतु जमानती के रूप में विश्वविद्यालय के नियमित कर्मों की सहमति आवश्यक होगी।
9. आवासों का आरक्षण उपलब्धता होने पर एक सप्ताह पूर्व किया जायेगा।

नोट- उपरोक्तानुसार आवंटित आवास की सफाई कार्यक्रम उपरान्त मेरे द्वारा स्वयं करायी जायेगी तथा आवास का उपयोग मात्र मेहमानों के ठहरने के लिये ही किया जायेगा।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. उपरोक्त भवन/मैदान /आवास जिसे मैंने आरक्षित करने का अनुरोध किया है कि यदि आरक्षित अवधि में भवन में किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
2. म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे के बाद नहीं करूँगा/करूँगी।
3. मेरे द्वारा उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का भली भाँति अवलोकन कर लिया गया है व मुझे उक्त सभी नियम, शर्तें स्वीकार्य हैं जिसका मैं अक्षरशः पालन सुनिश्चित करूँगा/करूँगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष की संस्तुति

नाम एवं पता

वि०वि० कर्मियों के अतिरिक्त अन्य हेतु वि० वि० नियमित कर्मियों की संस्तुति:

कर्मचारी का नाम

कर्मियों के हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

वेतन आहरण श्रोत.....

कर्मियों के विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर.....

कैशियर परिसम्पत्ति विभाग/जल कल/विद्युत विभाग

कृपया वांछित भवन/आवास एवं पार्क आवेदित तिथि में आरक्षण हेतु रिक्त है। उक्त संबंधित रसीदें (किराया, सफाई एवं जल शुल्क) निर्गत करने की कृपा करें।

परिसम्पत्ति अधिकारी

फौरमेन परिसम्पत्ति

श्री पदनाम विभागको
भवन/पार्क/मैदान एवं आवास संख्या.....दिनांकसे दिनांक..... तक आवंटित किया
गया है। जिसका कब्जा देना सुनिश्चित करें। वांछित धनराशि रसीद सं.दिनांक..... को
जमा की गई है।

परिसम्पत्ति अधिकारी